

प्रारूप " ब "
 देखिये नियम 9(3)(4) और (6)
 कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक ३२४/१४३ (30) 2007/2010 / 1198

दिनांक - जनवरी/08

संपरिवर्तन आदेश

श्री नारायण सिंह शिक्षा समिति ग्राम डोडसर तह0 चीमू जिला जयपुर के अध्यक्ष पर उसकी खातेदारी अभियुक्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान नू राज्य (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी शर्तशर्तियां नीचे दी गई है।

1-आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम जिला/परि. क नाम सहित पुरा जिला	श्री नारायण सिंह शिक्षा समिति ग्राम डोडसर तह0 चीमू जिला जयपुर
2-आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3-संपरिवर्तित भूमि का धारा- (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम एवं ग्राम पंचायत डोडसर तह0 चीमू जिला जयपुर।
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.न 1758/2 रकबा 0.50 हेक्टे.
(क) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल(हेक्टे. या वर्गमी.में)	ख.न 1758/2 में संपरिवर्तन किया गया क्षेत्रफल 5.000 वर्गमी0
4-संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक (Educational) प्रयोजनार्थ
5-तदेय प्रीमियम की दर	9.88/-रु0 प्रति वर्गमीटर
6-वालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	चान. 484 दि0 17.1.08 से राशि 49,400
7-वालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं
8-वालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नहीं

9-सा आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।
 10-अन्य विचारधिया, यदि कोई हो।

नहीं
 नहीं

11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

- (1) उपरोक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग शिक्षित अधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) शान्त आन्दोलक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जन कसया गया प्रीनिडम धन समपहृत हो जायेगा।
- (3) गनगम-4 में गनगम वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
- (4) लोकप्रयोग प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से दिदि नगर अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (5) यदि संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग से शिक्षण संस्थान तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित शर्तों से शिक्षण संस्थान तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सा0नि0वि0 से अनुमति लेनी होगी।
- (6) निकटस्थ स्थानीय निकाय की उपविधियों तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण बाधत निर्धारित नापदण्डोंनुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य करा जा सकेगा। यदि शिक्षण कार्य यूनिवर्सिटी ग्राट्स कमीशन अथवा टाउनकल एजुकेशन से संबंधित हो तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कराना होगा।
- (7) संपरिवर्तन भूमि पर निर्माण कार्य, इस कार्यालय से नक्शा अनुमोदित किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (8) शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र हल की खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिए छुट छोड़ना होगा।
- (9) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(6)राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.7.07 की पालना में नियम 2007 के नियम 9(2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा नक्शे अनुमोदित कराना होगा।

Handwritten notes in the left margin, possibly a signature or initials.

जिला कलेक्टर
 जयपुर।

क्रमांक-राज/ 1200-04

दिनांक- 24/1/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-प्रभासी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।
- 2-तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
- 3-सहायक ग्राम पंचायत डोडसर, ए.स. चौमू।
- 4- श्री नारायण सिंह शिक्षा समिति ग्राम डोडसर तहसी चौमू, जिला जयपुर।
- 5-आदेश/गार्ड फत्रावली।

No. नं. 1184

Date दिनांक 17/11/08

रकम जमा कराने का चालान

Name and signature of person tendering the Amount रकम जमा कराने वाले का नाम व हस्ताक्षर	Name and designation of person on whose behalf money is paid जिनकी तरफ से रकम जमा कराई जाने पर या व पद	Full Particulars of remittance and of authority पूर्ण विवरण रकम व प्राज्ञा का	Complete classification पूर्ण विवरण		Accounts officer by whom adjustable जिसके द्वारा रकम जमा की जायेगी	Amount रकम Rs. P.
			Major and Minor Head मुख्य एवं लघु शीर्षक	Detailed head विस्तृत शीर्षक		
श्री नारायण सिंह बिहारी ज्ञान ठोठल सलिन इन्फ्लिजि सि.	राजस्थान बीडा	राजस्थान बीडा	0029	1758/2 रकम 0.50 रु. 2000 रु. 17 रु. 0029	राजस्थान बीडा	49400 49400/-

Amount (in words) Rupees उत्तम 49 हजार 400 मात्र
 Note:— Full account in classification including detailed head must be recorded on this challan in the space provided for purpose.
 हिलणी- इस चालान में प्रयुक्त स्थान पर लेखे का पूर्ण विवरण भय विस्तृत मदों के विवरण चाहिये। P.T.O.